फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री सुनील कुमार विजयवर्गीय मु0पो0 रेलमगरा जिला राजसमन्द —**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 47/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 16.12.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द तथा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द तथा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( ) सू0अ0, 05/2021/1178 — 79 दिनांक 24.11.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2021 का सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय को 25.08.21 को प्राप्त हुआ हैं। आरटीआई आवेदन में जो सूचना अपिलार्थी द्वारा चाही गई उसका संबंध कार्यालय के भू— अभिलेख अनुभाग से होने के कारण जरिये पत्रांक 815 — 816 दिनांक 25.08.2021 से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी भू— अभिलेख अनुभाग जरिये पत्रांक 1566 दिनांक 10.09.2021 से आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 04 से 07 तक की सूचना की शुल्क राशि 210 रूपये जमा कराने हेतु प्रार्थी को लिखा गया एवं 01 से 03 तक की सूचना इस कार्यालय की नही होने बाबत अवगत किया गया। प्रभारी अधिकारी भू— अभिलेख अनुभाग जरिये पत्रांक 1566 दिनांक 10.09.2021 से आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 03 की सूचना हेतु उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा को जरिये पत्रांक ऑनलाईन 244901869805183 दिनांक 14.09.2021 व ऑफ लाईन 915—916 दिनांक 14.09.2021 से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु अन्तरण किया गया। प्रभारी अधिकारी भू— अभिलेख अनुभाग जरिये पत्रांक 1650 दिनांक 15.09.2021 से आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 04 से 07 तक की सूचना की शुल्क राशि 210 रूपये प्रार्थी द्वारा जमा करा देने से प्रार्थी को प्रासंगिक पत्र से वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड संबंधित अनुभाग द्वारा प्रेषित की जा चुकि हैं। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.12.2021 को जरिये ई मेल प्रार्थना	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पत्र पेश किया कि लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से कोई भी सूचना प्राप्त नही हुई हैं। अतः चाही गई वांछित सूचना निःशुल्क दिलवाने करवाने की कृपा करें।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा जरिये क्रमांकः सू0अ0/2021/245 दिनांक 13.12.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में प्रार्थी कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर सूचनाओं का अवलोकन कर वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रेकर्ड से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर प्राप्त करें।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द तथा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 04 से 07 तक की सूचना निर्धारित शुल्क जमा कराये जाने से उपलब्ध करा दी गई हैं। साथ ही लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 3 की वांछित सूचना के संबंध में आपके कार्यालय के अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार वांछित सूचना तैयार कर नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द तथा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)